

१८

प्रेषक,

नरेन्द्र प्रकाश ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या 2, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

विषय

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 8/2018/दो-4-2018-45
(12)/91 टी०सी०दिनांक 13.04.2018 के आलोक में विधि
में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.)धारक प्रार्थी को 03
अग्रिम वेतन वृद्धि दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 2, फर्रुखाबाद के पद पर कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश संख्या 8/2018/ 279/दो-4-2018-45(12)/91 टी०सी०दिनांक 13.04.2018 के अनुसार प्रार्थी को एल.एल.एम.की उपाधि प्राप्त होने के कारण 03 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि विधि में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.)धारक होने के कारण प्रार्थी को माह जुलाई 2020 से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश संख्या 8/2018/279/दो -4-2018-45(12)/91 टी०सी०दिनांक 13.04.2018 के आलोक में 03 अग्रिम वेतन वृद्धि माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

नरेन्द्र प्रकाश

नरेन्द्र प्रकाश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या 2, फर्रुखाबाद।

दिनांक:- 28-07-2020

न्यायालय जनपद न्यायाधीश
संख्या 1314/I दिनांक- 28.07.2020
सचिव

संजीव सिंह

जनपद न्यायाधीश
संख्या 1314/I
28-07-2020